

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी
आशा कवर

मुकाम
बनाम भूमिधारी

मुकदमा नम्बर 13/25 सन् 2022

मुकदमा प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.एक्ट

हुकम या कार्यवाही मया इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो द्वारा
मुकम की लागू
में जारी हुए

रिपोर्ट सरिस्ता होकर प्रार्थना पत्र पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये
नोटिस/रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 13.6.
2022 को पेश हो।

(ब्रिजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

13/6/22 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ में
आज अदालती कार्य का स्थगन कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 21/6/22 को पेश हो।


21/6/22 पत्रावली पेश हुई। वकूल उपस्थित।
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30/6/22
को पेश हो।

30/6/22 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ में
आज अदालती कार्य का स्थगन कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 20/7/22 को पेश हो।

20/7/22 पत्रावली पेश हुई। रुडाची बावजूद सभ 5
तामिल अशु. रहने से रुडाची के दिवगद
एक पक्षीय कार्यवाही रुजल के लामि गमी।
बहस एक पक्षीय रुनी गमी। पत्रावली
वास्ते निर्णय 29/07/22 को पेश हो।

29/7/22

पत्रावली आज वारते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में बहस एकपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी की एकल खातेदारी की भूमि है। अतः पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।


(विजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (अधिकारी)
नीमकाथाना


आदेश

प्रा० पत्र० 325/2022

निर्णय दिनांक 29.07.2022

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम भूदोली पटवार हल्का भूदोली तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नंबर 562 रकबा 0.82 हैक्टे. की प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 08.05.2022 पत्थरगढी की जावे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा वेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फंसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


(विजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (अधिकारी)
नीमकाथाना

